



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256392
CG-DL-E-14082024-256392

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 462]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 501(अ).—केंद्रीय सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 33 की उप धारा (2) के खंड (थ क) और (थ ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ. - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972, (1972 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 25क के अधीन अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अपीलार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित है और अधिनियम की धारा 25क के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है;

(घ) "अपील प्राधिकारी" से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ.) "शिकायतार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो "न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत करता है;"

"(च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है.

3. जांच करना.-(1) अधिनियम की धारा 25क के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी, उसमें विनिर्दिष्ट किसी धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन को उपदर्शित करने वाली शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-1 में सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी अवधि जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए (जो सूचना की तारीख से सात दिन से कम नहीं होगी) के भीतर कारण बताए कि उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।

- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में की गई कथित उल्लंघन की प्रकृति उपदर्शित की जाएगी।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शित किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह सूचना जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी तारीख को, जो सूचना में नियत की जाए, उपस्थित होने की अपेक्षा होगी।
- (4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और अधिनियम के उस उपबंध के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन किया जाना अभिकथित है।
- (5) न्यायनिर्णायक अधिकारी, तब, ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-2 के अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को आगे की तारीख (प्रथम तारीख से पन्द्रह दिन के बाद नहीं और अधिकतम तीन बार से अधिक नहीं) तक स्थगित किया जा सकेगा और ऐसा साक्ष्य लेने में अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इन नियमों के अधीन जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा और उसे बाध्य कर सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो।
- (7) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, अपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकेगा।
- (8) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात न्यायनिर्णायक अधिकारी

का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा है जो वह उचित समझे।

- (9) उप-नियम (8) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और शास्ति अधिरोपित करने के कारण अंतर्विष्ट होंगे।
- (10) उपनियम (8) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित होगा।
- (11) इस नियम के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति तथा कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां निशुल्क उस व्यक्ति को दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।
- (12) न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, सूचना जारी करने की तारीख से छह माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
- (13) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई है, निम्नलिखित में से किसी भी रीति से तामील किया जाएगा, अर्थात्:
 - (i) उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या निविदा देकर; या
 - (ii) उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर, जहां वह कारबार करता था या अंतिम बार किया था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है या अंतिम बार काम किया था; या
 - (iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने अंतिम बार निवास किया था या कारबार किया था या व्यक्तिगत रूप से काम करता है या लाभ के लिए काम किया है।

4. अपील.-(1) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, अधिनियम की धारा 25क के अधीन प्ररूप-3 में अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

- (2) अपील, आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी के पास फाईल की जाएगी:

परंतु, अपील प्राधिकारी, जहां साठ दिन की ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण दिया गया हो, ऐसे विस्तार के लिए लिखित रूप में लेखबद्ध किए जानेवाले कारणों से अपील को स्वीकार कर सकेगा।
- (3) नियम 3 के उपनियम (8) के अधीन जारी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति तथा अपील के आधारों तथा अधिनियम की सुसंगत धारा जिन तथ्यों के विरुद्ध अपील की गई है उनका स्पष्ट विवरण, अपील के साथ संलग्न किया जाएगा।
- (4) अपील अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से नियुक्त लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाईल की जाएगी।

- (5) डाक द्वारा भेजी गई अपील, उसके प्राप्त होने के दिन ही अपील प्राधिकारी के समक्ष फाईल की गई समझी जाएगी।
- (6) यदि जांच करने पर अपील सही पाई जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और यदि अपील में त्रुटि पाई जाती है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को त्रुटियों से अवगत कराएगा और पंद्रह दिन के भीतर त्रुटियों को सुधारने की अनुज्ञा दे सकेगा और यदि अपीलार्थी उस अवधि के भीतर ऐसी त्रुटियों को सुधारने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी आदेश द्वारा और लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी अपील को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा और अपीलार्थी को सात दिन की अवधि के भीतर अपने इस इंकार से अवगत करा सकेगा। अपील स्वीकार किए जाने पर, अपील प्राधिकारी सूचना के साथ अपील की एक प्रति न्यायनिर्णायक अधिकारी को देगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना उत्तर, यदि कोई हो, तीस दिन से अनधिक अवधि जैसा अपील प्राधिकारी द्वारा निर्धारित हो, के भीतर या उक्त सूचना में दिए गए अनुसार फाईल करे। सूचना दस्ती से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी।
- (7) अपील स्वीकार किए जाने पर, अपील प्राधिकारी सूचना के साथ अपील की एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है और उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना उत्तर, यदि कोई हो, तीस दिन से अनधिक अवधि जैसा अपील प्राधिकारी द्वारा निर्धारित हो, के भीतर या उक्त सूचना में दिए गए अनुसार फाईल करे।
- (8) सूचना दस्ती से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी।
- (9) अपील प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी से कार्यवाही के संदर्भ में रिकार्ड मंगवा सकेंगे।
- (10) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जिन्हें वह युक्तियुक्त समझे।
- (11) अपील प्राधिकारी अपील स्वीकार होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

5. समय बढ़ाना - न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील प्राधिकारी, लिखित रूप में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, जहां कार्रवाई करने में देरी या असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण है, इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी अवधि को उस अवधि तक बढ़ा सकेगा जिसे वह युक्तियुक्त समझता है।

6. आदेश और शास्तियां.- (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश दिनांकित हस्ताक्षरित होगा तथा सभी पक्षकारों को सूचित किया जाएगा।

- (2) इन नियमों के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां भारत की समेकित निधि में जमा की जाएंगी।

प्ररूप- 1

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

सेवा में,

कारण बताओ सूचना

विषय: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन।

महोदय/महोदया,

तारीख.....को प्राप्त सूचना (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा----- के अधीन पर एक उल्लंघन किया गया है।

2. उपरोक्त उल्लंघन शास्ति के लिए दायी है। अतः, आप इस सूचना की तामील के ----- दिन की अवधि के भीतर कारण बताएं कि आपके विरुद्ध समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 25क के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए जांच क्यों न शुरू की जाए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

तारीख और स्थान.....

प्ररूप – 2

उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करना

[नियम 3 का उपनियम (5) देखें]

सेवा में,

.....
.....
.....

1. मैं/ हम,

.....
.....

तारीख.....की कारण बताओ सूचना के संदर्भ में एक विवरण देता हूँ/दिते हैं।

.....
.....

2. डाक सूची संख्या/कोड और राज्य, मोबाइल संख्या और ई-मेल सहित पूरा पता।

3. उल्लंघनकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

4. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ मोबाइल संख्या

प्ररूप-3**अपील****[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]**

सेवा में,

अपील प्राधिकारी,

.....

.....

.....

1. अपीलार्थी का विवरण:

(i) नाम :

(ii) पत्राचार का पता:

(iii) संपर्क संख्या:

(iv) ईमेल :

2. अपील के आधार:

(न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करें)

3. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की तारीख:

4. तथ्यों का विवरण:

मैं/हम, अपीलार्थी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरी/हमारी सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

5. अपीलार्थी के हस्ताक्षर और तारीख:

6. अपीलार्थी का नाम:

[फा. सं. K11/2/2019- ईपी(एमपी) खंड.2]

अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (qa) and (qb) of sub-section (2) of section 33 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Marine Products Export Development Authority (Adjudication of Penalties) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972)
- (b) “adjudicating Officer” means an officer appointed by the Chairman under Section 25A of the Act;
- (c) “appellant” means an aggrieved person who makes an appeal before the Appellate Authority;
- (d) “appellate authority” means Chairman of the Marine Products Export Development Authority;
- (e) “complainant” means an aggrieved person who makes a complaint before the adjudicating officer;
- (f) “form” means a form appended to these rules;
- (g) “section” means section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Holding of inquiry.** - (1) For the purpose of adjudication of penalties under section 25A of the Act, on receipt of any complaint of any contravention of provisions any section specified therein, the adjudicating officer shall, issue a notice in Form-I to such person, requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof) why an inquiry should not be held against him.

- (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
- (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
- (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act, in respect of which contravention is alleged to have been committed.
- (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-II as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date (not later than fifteen days from the first date and up to a maximum of three dates) and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
- (6) While holding an inquiry under these rules, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
- (8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.
- (9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

- (10) Every order made under sub-rule (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
- (11) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the person against whom the inquiry was held.
- (12) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the person against whom the inquiry was held.
- (13) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner:
 - (i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
 - (ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
 - (iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.

4. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority under sub-section (2) of section 25A of the Act in Form-III.

- (2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of sixty days from the date of the order:

Provided that, the appellate authority may, where sufficient cause for not preferring the appeal within such period of sixty days is given, he may admit the appeal and record the reasons for such extension in writing.
- (3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer issued under sub-rule (8) of rule 3 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section of the Act.
- (4) The appeal shall be filed by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing duly appointed in this behalf, or by registered post or speed post or through electronic means.
- (5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.
- (6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the appellant authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time period, the appellate authority may by order and reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant with a period of seven days thereof. On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal upon the adjudicating officer against whom the appeal is sought along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice. The notice may be served by hand or by registered post or speed post or through electronic means.
- (7) On admission of the appeal, the appellate authority shall serve a copy of appeal upon the person against whom the appeal is sought along with a notice requiring him to file his reply thereto, within such period, not exceeding thirty days, as may be stipulated by the appellate authority in the said notice.
- (8) The notice may be served by hand or by registered post or speed post or through electronic means.
- (9) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.
- (10) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.
- (11) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of admission of appeal.

5. Extension of time. - The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.

6. Order and penalties. — (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

Form - I

[See sub-rule (1) of rule 3]

To

SHOW CAUSE NOTICE

Sub: Contravention of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972.

Sir/Madam,

As per intimation dated _____ (copy enclosed), a contravention has been committed under section _____ of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 at _____.

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of _____ days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 25A of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the said Act.

Adjudicating officer

Date and place.....

FORM-II

Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener

[See sub-rule (5) of rule 3]

To

.....

1. I/We,

hereby give a statement in reference to the show cause notice dated.....

.....

2. Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.

3. Signature of the contravener or his authorised representative:

4. Name of the person along with mobile number who has signed.

FORM-III**Appeal****[See sub-rule (1) of rule 4]**

To

Appellate Authority,

.....
.....
.....

1. Particulars of appellant:

- (i) Name:
- (ii) Address for correspondence:
- (iii) Contact No:
- (iv) Email:

2. Grounds of appeal:

(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)

3. Date of order of the adjudicating officer:

4. Statement of facts:

I/We..., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5. Signature of appellant and date:

6. Name of appellant:

[F. No. 11/2/2019-EP(MP)Pt.2]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.